

RAJASTHAN

Summary

> Travel Concession for PLHIV

75% concession in travel fare for People Living with HIV.

Antyodaya Anna Yojana

Extended the benefits of AAY (Food Grains) under Targeted Public Distribution System to People Living with HIV in subsidized price

> Free Blood Unit from Blood Bank

Free blood unit to People Living with HIV.

➤ Financial Assistance (Palanhar)

Financial assistance of Rs. 500/- to Rs. 1000/- to guardian of Orphan Children Affected by AIDS for education and other social & economic needs.

> Widow Pension

Widow Pension to widow women infected with HIV irrespective of her age.

> Free treatment

Free diagnosis, treatment and medicine to People Living with HIV under chief minister relief fund.

➤ Inclusion of Third Gender in Voter ID, Housing

Inclusion of third gender in Voter Identity card

> Special Cell- Third Gender

Anti-discrimination cell against third gender in colleges

> Safeguard the rights of transgender (SALSA)

Directive issued by Rajasthan State Legal Service Authorityw.r.t. safeguard the rights of TGs.

> Prioritizing Transgender in Social Welfare Schemes

Prioritizing Transgender communities for extend the benefits of social welfare schemes

> Support to TGs in Higher Education Institutions

Liberalize and waive off fee in Higher Education Institutions for Transgender.

Financial Assistance to unemployed Youth of Rajasthan

Unemployed youth (including transgender) are provided with financial assistance from 3000/- per month to 3500/- per month.

> Priority to PLHIV in provisioning from Department of food and civil supplies



Page 363 of 482

YOU प्राप्ता भारत है। जिस्सा के प्राप्त प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्रा कमाक एक्पड़क महत्त्वार में खाला प्रयोग / 2010 / 48 दिनाक:-29-

PDF Complete.

कार्यालय-आदेश

amplete

Click Here to session Uniment of Page of Expanse इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्या एफ-4/मू०/याता/लेखा/2003/ 505 दिनाक 25.8.2003 द्वारा एड्स रोग से पीडित रोगियों को जिनके पास चिकित्सा विभाग द्वारा गठित तीन चिकित्सकों के दल द्वारा एच.आई.वी.पोजिटिव होने का प्रमाण पत्र हो, उन्हे ईलाज हेतु अपने निवास से अस्पताल आने –जाने पर किराया में 75 <u>प्रतिशत रियायत</u> प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई थी । उक्त आदेश में रोग/रोगी को एड्स रोग /एड्स रोगी से राम्बोधित किया गया था ।

परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाएं, राजस्थान जयपुर से प्राप्त पत्र कमांक एड्स/अ.आर.टी. /2009/4310 दिनांक 9.11.2009 के द्वारा अवगत कराया गया है कि चिकित्सा विभाग द्वारा गठित तीन चिकित्सको के दल द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र मे भविष्य में एड्स/एच.आई.वी. पोजिटीव की जगह रोग का नाम "Immuno-compromised." उपयोग में लिया जावेगा । यह एड्स रोग का ही सम्बोधन है ।

अतः उक्त के कम में सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य चिकित्सा विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित " Immuno-compromised. " /" H I V " रोग का प्रमाण पत्र जारी करने पर उसे एड्स रोगी का सम्बोधन मानकर एड्स रोगी को देय रियायती सुविधा पुर्वानुसार ईलाज हेतु निवास से अस्पताल तक आने -जाने के लिए दी जावे । परिचालक ऐसे प्रमाण पत्र धारी व्यक्ति को जारी किये जाने वाले रियायती यात्रा टिकिट (75 प्रतिशत रियायत) पर एड्स रोग का सम्बोधन अंकित नहीं करें तथा रियायती यात्रा टिकिट पर "विशेष श्रेणी" लिखकर ही टिकिट जारी करेगें ।

यह आदेश माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किए जा रहे है ।

> कार्यकारी निदेशक (यातायात) दिनांक:- 29-01-10

कमांक एफ-४/मु०/याता/लेखा/२०१०/ ५८

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।

- प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा,स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण एवं अध्यक्ष ,राजस्थान स्टेट एडस 2. कन्ट्रोल सोसायटी, निदेशालय, चिकि० एवं स्वास्थ्य सेवाये, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग जयपुर ।
- प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर । 3.
- आयुक्त_एवम् शासन सचिव,परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर । 4.
- ८परियोजना निदेशक,राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, निदेशालय, चिकि० एवं स्वा० सेवाएँ, राज0 जयपुर को पत्र कमांक एड्स/अ.आर.टी./2009/4310 दिनांक 9.11.2009 के कम में ।
- समस्त विभागाध्यक्ष ,..... राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर । 6.
- महा प्रयन्धक ,..... राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर । 7.
- जोनल मेनजर राजस्थान परिवहन निगमजोन.....जोन.....
-) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपूर । 9,
- कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पंक)राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर । 10.
- लेखाधिकारी (टिकिट स्टोर) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर । 11...
- सहायक लेखाधिकारी (वसूती) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर । 12.
- मुख्य प्रवन्धक, / प्रबंधक (वित्त / याता) राजस्थान परिवहन निगम,......का 13. प्रेषितकर निर्देशित किया जाता है कि सभी. सम्बन्धित को उक्त व्यवस्था से अवगत कराकर पालना सुनिश्चित की जावे । यह विशेष ध्यान रखेगें कि इन्हे जारी टिकिट पर एड्स का सम्बोधन अंकित न हों ।
- आदेश पत्रावली । 14

1081-41

अति (आवश्यकः -

राजस्थान सरकार खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ 13(48) खा.वि./अन्त्योदय अन्न योजना /2000-॥

जयपुर,दिनांक 🕫 🗸 🗸 🖊

समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान ।

विषय:- एड्स पीड़ितों को ए.ए.वाई. सूचि में सम्मितित किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत खाद्य मत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन गई दिल्ली के एठ दिनांवः 03.06.2009 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि समस्त एव.आई.वी. (HIV) पीड़ित व्यक्तियों की जो वर्तमान के बी.पी.एस. में सम्मिलित नहीं है, इनका चयन किया जा कर इन्हें ए.ए.वाई. में सम्मिलित कर योजना का लाभ प्रदान किया जार्थ।

इत क्रम में राजस्थान स्टेट एड्स कटोल सोसायटी जयपुर से प्राप्त पीड़ित व्यक्तियों की रिक्ट कर रहेंदे नहाम कर डावेत की का रह है, मूचन पूरना इन्हें रह शह बाकनी ने चयानित कर विभाग को अवगत करावें।

भवदाय प्रमुख शास्त्र सचिव

242

राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(48)खा.वि. / अ.अ.यो. / 2000-11

जयपुर, दिनांक 29 12 14

समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।

> विषय:— एड्स पीड़ित परिवारों को बीपीएल में शामिल करवाया जाकर अन्त्योदय अन्न योजना सूची में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- भारत सरकार का पत्रांक No. 13(15)/2009-PD-111 दिनांक 03.06.2009 एवं विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 08.02.2010 एवं 28.04.2010

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रतियाँ एवं राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी से प्राप्त जिलेवार एच.आई.वी. / एड्स पीड़ितों की सूची इस पत्र के साथ पुनः संलग्न कर लेख है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार एच.आई.वी. / एड्स पीड़ित परिवारों को बीपीएल में शामिल करवाया जाकर अन्त्योदय श्रेणी में शामिल किया जाना है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 03.06.2009 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान अन्त्योदय सूचियों की समीक्षा की जाकर एच.आई.वी. पीड़ित परिवारों को शामिल किया जाना है। ज्ञातव्य है कि अन्त्योदय परिवारों की सूचिया दस वर्ष पूर्व बनायी गयी थी। तत्समय राज्य में कुल 932101 परिवारों का चयन किया गया था, जिसका विवरण (Annexure-1) संलग्न है। संभव है कि कुछ एकल सदस्यीय परिवार अब अस्तीत्व में ही नहीं हो। अतः जिलेवार अन्त्योदय परिवारों की वर्तमान संख्या सीमा में रहते हुए एच.आई.वी. परिवारों को इस सूची में शामिल करने में कोई समस्या नहीं होगी।

जल्लेखनीय है कि कम्प्यूटरीकृत राशनकार्ड डाटा में अन्त्योदय परिवारों की सूची पृथक से तहसीलवार—जिलावार उपलब्ध है। जिलों से प्राप्त डाटाबेस के आधार पर जिलेवार अन्त्योदय परिवारों की संख्या अनुलग्नक 'अ' पर संलग्न है। परन्तु यह सूची पूर्ण नहीं है। संभव है कि कुछ अन्त्योदय परिवार बी.पी.एल. श्रेणी में वर्गीकृत हो गये हों। लिहाजा पंचायतवार वर्तमान में उपलब्ध अन्त्योदय परिवारों की सूची को अद्यतन कर ऑनलाइन फीड किया जाना सुनिश्चित करें। अन्त्योदय परिवारों की संपूर्ण सूची भामाशाह योजना में फीड किये जाने हेतु सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा भी चाही जा रही है।

अतः इस संबंध में 31 जनवरी, 2015 तक सम्पूर्ण कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें। संलग्न:— उपरोक्तानुसार

> (जस्ताराम चीधरी) अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

E-IDHARMENDRA KUMAR BOLYA/FOODGran/Letters, 2014.doc

1081

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ 13(48) खा.वि. /अन्त्योदय अन्न योजना /2000-II

जयपुर,दिनांक 08/2//0

समस्त जिला रसद अधिकारी, **राजस्था**न ।

विषय:-- एड्स पीड़ितों को ए.ए.वाई. सूचि में सम्मिलित किये जाने बाबत। महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार,कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र दिनांक 03.06.2009 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि समस्त एच.आई.वी. (HIV) पीड़ित व्यक्तियों को जो वर्तमान में बी.पी.एल. में सम्मिलित नहीं है, इनका चयन किया जा कर इन्हें ए.ए.वाई. में सम्मिलित कर योजना का लाभ प्रदान किया जावें।

इस क्रम में राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर से प्राप्त पीड़ित व्यक्तियों की जिले वार सूचि संलग्न कर प्रेषित की जा रहीं है, कृपया तुरन्त इन्हें ए.ए.वाई, योजना में चयनित कर विमाग को अवगत करावें।

मवदीय



राजस्थान सरकार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग क्रमांक:एफ. 13(48)खा.वि. / अ.अ.यो. / 2000-ग जयपुर, दिनांकः 2

समस्त जिला रसद अधिकारी, **राज**स्थान।

> विषय:- एड्स पीडितों को अन्त्योदय अन्न योजना सूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध में। संदर्भ:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 08.02.2010

महोदय.

संदर्भित पत्र के क्रम में परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी से प्राप्त जिलेवार एचआईवी /एड्स पीड़ितों की सूची सलग्न प्रेषित कर लेख है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार एचआईवी /एड्स पीड़ितों को लक्षित सार्वजिनक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना से लाभान्वित किया जाना है।

इस संबंध में जो परिवार बीपीएल श्रेणी में चयनित हैं, उन्हें अन्त्योदय अन्न योजनी में चयनित करने की कार्यवाही करावें और जो परिवार बीपीएल श्रेणी में चयनित नहीं हैं चनको निर्धारित प्रक्रिया अनुसार बीपीएल श्रेणी में चयन कराकर अन्त्योदय अन्न योजना से लामान्वित कराने का श्रम करावें। कृपया भारत सरकार से प्राप्त पत्र एवं ग्रामीण विकास विभाग से जारी पत्र की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। संलग्न उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

40

1 M. lengradoe

12:

0338

IMMEDIATE

1050

No.13(15)/2009-PD-III
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department of Food and Public Distribution

Krishi Bhavan, New Delhi Dated 3rd June, 2009

The Secretary, Food & Civil Supplies Department, (All State/UT Governments)

To.

Subject: Extending the benefits of Antyodaya Anna Yojana (AAY) scheme under Targeted Public Distribution System (TPDS) to HIV positive persons - Regarding.


am directed to say that in order to make the TPDS more focused and targeted at the poorest of the poor. Antyodaya Anna Yojana was launched in Detember, 2000 for one crore families to be identified amongst the BPL families. Coverage under this scheme has been expanded thrice since then i.e. during 2003-04, 2004-05 and 2005-06, vide communications No.6(4)/2003/PD-I dated 5th June, 2003, No.6(1)/2004/PD-I dated 3rd August, 2004 and No.6(5)/2005/PD-I dated 12th May, 2005, respectively, covering additional 50 lakh households each time. As per these instructions, the Antyodaya Anna Yojana (AAY) families were to be identified from the BPL families in each State. In the said guidelines it has, inter-alia, been laid down specifically that widows or terminally ill persons or disabled persons with no assured means of subsistence or family/societal support would be eligible for coverage under AAY, provided they are in the BPL list of the concerned State/UT.

2. As the State/UT Governments may be aware, a PIL has been filed by the social activists and Persons Living with HIV/AIDS (PLHA) in the Hon'ble Supreme Court. In this regard relevant extracts of Order dated 26.3.2009, passed by the Supreme Court in Writ Petition (Civil) No.535/1998, are given below:

TLearned counsel appearing for the petitioner_stated_that many of these patients are living Below the Poverty Line and so they should be provided with. Antyodaya Anna Yojana Card to get food supply from PDS stores and so also some of these patients have to visit the distant hospitals regularly and therefore they should be issued free passes in public transport system. We hope that HIV/AIDS patients would get the proper line of treatment.

- 2 -

R 760



Keeping in view the above order of the Hon'ble Supreme Court and provisions in the existing AAY guidelines as in para 1 above, all State/UT provisions in the existing AAY guidelines as in para 1 above, all State/UT Gramments are requested to review the existing list of AAY families in their expective States/UTs, delete ineligible AAY families therefrom and include all expective BPL families of HIV positive persons in the AAY list on priority, against the expective mentioned in para 2(b) and 2(c) of the guidelines for identification of AAY criteria mentioned in para 2(b) and 2(c) of the guidelines for identification of AAY criteria under Antyodaya Anna Yojana, circulated vide D.O. letter No.6(5)/2005/PD-I families under Antyodaya Anna Yojana, circulated vide D.O. letter No.6(5)/2005/PD-I dated 12th May, 2005, within respective ceilings on numbers of the AAY families communicated by this Department.

Yours faithfully,

Dan Lan

(Lalit Chauhan)
Under Secretary to the Government of India
Tele No.011-23388571


2

गाजस्थान सरकार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपमोक्ता मामर

क्रमांक:एफ १३(४४)खा वि. / अ अ.यो. / २०००-॥

3/4/1:

समस्त जिला रसदं अधिकारी, राजस्थान।



विषय:- एड्स भीडितों की अन्त्योदय अन्न योजना सूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध थे। सदर्भ:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 08,02.2010

संवर्भित पत्र की क्रम में परिर्धाजना निर्देशक र जस्थान स्टेट एडस क्ट्रोल राज्यकों है प्रारं जिल्लाकर इच्छाईबी / एसक की रूप का सूची सलाए प्रेमित कर लेख हैं। १६ १८० र १९९५ में जिल्लाकुर्ण माना के अपना के लिएकों के प्रारं के लिएकों रिकार प्रवर्की र कराई कराईबिय अन्य योजना से सामाखित कराक नाम मा

316

ज्यायुक्त एवं उप शासनं सचिव

याजस्थातः स्टेट एड्स कान्स्रेषः सामायटी

ितदेशालयः विकित्या एवं श्वारश्य सेवाये (स्वास्थ्य भवरू, तिलक भागे, राजस्थांत, जर्यपूर)

(फोन नं 0141-:2225532, 2::22452 फेक्स नं 014न-:2221792)

क्रमाक एड्स / रक्त भुरशा / (01) / 2016 /

प्रमुख भारान संदियः चिकित्रः। एयास्थ्य एक पश्चिमः कत्याण च अध्यक्षः र जस्थान स्टेड एड अंत सीसाबटी राजस्थान शरकार जायपुर के अध्यक्षता है दिनाक 18.08.05 को प्रकथ का विकारिणा कोदी राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोतः सोसायटी की बैठक में लिये गुव निर्णयानुस र सगस्त बन्ड बैक्से (सरकारी एवं गैर सरकारी) को रिवेशित किया जाता ! कि PLWHA (People Living with HIWAIDS) की रवत की आवश्यकरा धोने पर न्वत विना होतर के निष्ट्रात्क उपसंध कराया जे वै।

संलान- खग्रागेक्तान्सार

परियोजना निर्देशक राजस्थान स्टेट एड्स केन्द्रीए रासायटी, जयपुर (राज)


(10) N 1961 (2012 1962) 120 (101) N 50 (101)

के अस्तिष निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् ग्रेषित है —

- ा निजी सचिव विकित्सा. स्वाह्य्य एवं प रेवार कत्याण व अध्यक्ष राजस्थान स्टेट एडाई सोसापटी जयपर।
- 22 अधुक निदेशक रक्त सुरक्षा, नाको नई दिल्ली।
 - 3 PARTO PHOEVIVATOS/IEC/ESI/Mobile Surgical Unit

 - 4. परियोजना निदेशक, NRHM/RHSDP 5: औषीं। नियंत्रक, शंजरथान, अथम/हितींश, पुख्यालय।
 - 6 असिस्ति स्वतं निदेशदः, अस्पताल प्रशासन, मुख्यालयः।

 - संग्रुवन निदेशक जीन 8 प्रवीनम्बार्य एवं मियत्रकं मेडिकल कॉलेज............ मेडिकल कॉलेज....
 - मुख्य चिकित्सा र यं रवास्थ्य अधिकारी (रामस्त)
 - क्रमुख चिकित्सा प्रधिकारी....
 - भ गुर्शिरी अधिकारी रवत वैक



राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागं बम्बेडकर भवन, जी ३/१, बाईस गोवाम पुलिया के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(1)(208)मुबाअ/सान्याअवि/07/ 25 8/6

जयपुर, विनांकः उ०/५//०

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी संशोधन नियम, 2007, आदेश संख्या 48595 दिनांक 07.08.2007 व आदेश संख्या 3514 दिनांक 27.01.2010 में निम्न प्रकार संशोधन किए जाते हैं:-

नियम एवं	THE WHITE THE SHEET SET		
उपनियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम	
2(6) (परिमाषा)	"अनाथ बच्चों" से तात्यर्य ऐसे बालक / बालिका से है, जिनके माता—पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनकों न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो व धूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की मृत्यु हो चुकी हो व धूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हो अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो।	बालक / बालिका से हैं, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनकों न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन काराबास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराम्नित पेंशन हेतु पात्रता रखती हों अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो अथवा कुष्ठ रोग/एडस पीडित	
3 (5 स) 3 (5 स)	नया उपनियम प्रतिस्थापित किया गया। नया उपनियम प्रतिस्थापित किया गया।	माता/पिता की संतान हो। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता की संतान हेतु योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए कुष्ठ पीड़ित को सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।	
		एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान हेतु योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए एड्स पीड़ित को राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी में कराए गए पंजीयन का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।	
4 (5)	वर्तमान उपनियम् 4(5) को 4(6) क्रमांकित कर 4(5) नया उपनियम प्रतिस्थापित किया।	कुछ रोग/एड्स रोग से पीड़ित माता/पिता की प्रत्येक संतान के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते. जुराब, स्वेटर इत्यादि के लिए 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।	
<u>कृष्ठ राग स पाइत</u> नियमानुसार सहायता	माता/।पता के प्रकरणों में उनकी चिकि जारी रहेगी।	त्सा से रोग दूर होने बाद भी योजनान्तर्गत	

यह आदेश वित्त विभाग की अर्न्त विभागीय टीप संख्या 101001333 दिनांक 28.04.2010 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रसारित किए जा रहे हैं।

आयुक्त ५० (

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, बाईस गोदाम पुलिया के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(1)(208)मुबाअ / सान्याअवि / 07 / 16 9 0)

जयपुर दिनांक : १ । १ । ।

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी संशोधन नियम, 2007, आदेश संख्या 48595 दिनांक 07.08.2007, आदेश संख्या 3514 दिनांक 27.01.2010 एवं आदेश संख्या 25816 दिनांक 30.04.2010 में निम्न प्रकार संशोधन किए जाते है:--

नियम एवं	वर्तमान नियम	संशोधित नियम		
उपनियम संख्या 2(6) (परिभाषा)	"अनाथ बच्चों" से तात्पर्य ऐसे बालक / बालिका से हैं, जिनके माता—पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा जनकों न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता—पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराम्नित पेंशन हेतु पात्रता रखती हों अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा गाता की संतान हो अथवा कुछ रोग / एड्स पीड़ित गाता / पिता की संतान हो ।	"अनाथ बच्चों" से तात्पर्य ऐसे बालक / बालिका से है, जिनके माता—पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनकों न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता—पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हों अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो अथवा कुछ रोग/एइस पीड़ित माता/पिता की संतान हो अथवा जिनकी माता उन्हें छोड़कर नाते चली गई हो और उसे नाते गए हुए एक वर्ष रो अधिक हो गया है।		
3 (5 4)	नया उपनियम प्रतिस्थापित किया गया।	नाते जाने वाली माता की संतान हेतु योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम सभा की सिफारिश पर सचिव—ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में सम्बन्धित नगर परिषद/नगर निगम/नगर पालिका के यथास्थित आयुक्त /मुख्य कार्यकारी /अधिशाषी अधिकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपन्न में जारी किया गया प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।		
3 (7)	15 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने के बाद इन बच्चों की सामाजिक ग्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रखा जायेगा। छात्रावारा में अवकाश होने पर इन अनाथ बच्चों को पालनहार द्वारा रखा जायेगा, जिसके लिए पालनहार को अवकाश अवधि के अनुपात में मासिक अनुदान मिलेगा। ऐसे अनाथ बच्चों की सम्पत्ति का विवरण विभाग द्वारा तहसीलदार/नगरपालिका एवं पंचायत को दिया जायेगा जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी (इनके वयसक होने तक) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की होगी।	यिलोपित । !		
4 (अनुदान सहायता)	(1) निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के बच्चों को छोड़कर प्रत्येक अनाथ बच्चे	(1) निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला एवं नाते जाने वाली माता के बच्चों को		

C Charletti Rafadessignaas PVAN 04-2008 Related with PALANITAAR disc

\$ 3 2011

П

नियम एवं उपनियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
के लिए विमाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा बस्त्र. जूते, जुराब, स्वेटर, इत्यादि के लिए 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। (2) निराश्रित पेंशन की पात्र विभवा महिला के मामले में उसके केवल एक बच्चे के लिए 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 500 रूपये प्रतिमाह एवं 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 675 रूपये मासिक अनुदान देय होगा। इन्हें वार्षिक एकमुश्त राशि रूपये 2000/— देय नहीं होगी। (3) निराश्रित पेंशन की पात्र विभवा महिला के एक से अधिक बच्चे होने पर नियम 4(2) के अनुसार उसकी द्वितीय संतान के 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक एक बच्चे के लिए मासिक अनुदान देय होगा। इन्हें वार्षिक एकमुश्त राशि रूपये 2000/— देय नहीं होगी। (4) विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विभवा माता की संतान के लिए विमाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्षों के लिए 500 रू. प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रू. प्रतिमाह उक्त नियमों के अध्यधीन अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते—जुराब, स्वेटर इत्यादि के लिए 2,000 रू. वार्षिक अनुदान दिया जायेगा।		छोड़कर प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए विमाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 18 वर्ष आयु पूर्ण करने तक 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते. जुराब, स्वेटर, इत्यादि के लिए 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। (2) नाता जाने वाली माता की एक संतान हेतु एवं निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला को उसकी एक संतान हेतु विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में वाखिल होने के बाद 18 वर्ष आयु पूर्ण करने तक 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। इन्हें वार्षिक एकमुश्त राशि रूपये 2000/—देय नहीं होगी। (3) पालनहार व्यक्ति को अपना आवेदन पत्र जिला अधिकारी या सक्षम अधिकारी को देना होगा, जिसकी जाँच के बाद जिलाधिकारी द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा। (4) यथावत।
	(5) कुष्ठ रोग/एड्स रोग से पीड़िता माता/पिता की प्रत्येक संतान के लिए विभाग द्वारा प्रारिगक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर इत्यादि के लिए 2000 रूगये वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।	
	(6) पालनहार व्यवित को अपना आपेदनपत्र जिला अधिकारी या राक्षम अधिकारी को देना होगा, जिसकी जाँच के बाद जिलाधिकारी द्वारा अनुदान रवीकृत किया जा सकेगा।	(6) यथावत । -

यह आदेश वित्त विभाग की अर्न्त विभागीय टीप संख्या 101004466 दिनांक 09.02.2011 से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में प्रसारित किए जा रहे हैं।

C RESOURCES SUPEDISLINGUAGE SHOWN ON 2008 ROBBET WITH PALANCIAAR dec

राजस्थान संरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेड़कर भवन, जी 3/1, 22 गोदाम पुलिया के पास, जयपुर।

क्रमांकः एषः १४(१)(पालनहार)/पुर्यास/सान्यास्त्रिय/१२-१३/33636

जयपुर दिनांक 29. 2. 013

पालनहार योजां संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी संशोधन नियम 2007 एवं आदेश संख्या 16901 दिनांक 3.3.2011 के नियम 4 में निम्न संशोधन प्रतिस्थापित किया

नियम एवं उप नियम संख्या		वर्तमान नियम		संशोधित नियम
4	लिये स्कूल पश्चात अनुदा तथा इत्यादि	विशेष प्रारागक 5 वर्ष के 500 / - रु. प्रतिमाह एवं में दाखिला होने के त 675 / - रु. प्रतिमाह न स्वीकृत किया जायेगा वस्त्र, जुते, जुराब, स्वेटर	5 व दारि अनुद निरा गयी लिये 2000	क अनाथ बच्चे के लिये विभाग द्वारा प्रारंभिक र्ष के लिये 500/-रु. प्रतिमाह एवं स्कूल में बला होने के पश्चात 1000/-रु. प्रतिमाह रान स्वीकृत किया जायेगा। श्रेत पेंशन की पात्र विधवा महिला एवं नाते माता की संतान को छोडकर प्रत्येक बच्चे के वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर इत्यादि के लिये /-रु. वार्षिक अनुदान स्वीकृत, किया
	4			

यह आदेश वित्ता विभाग की आई.डी. संख्या 161300545 दिनांक 29.3.2013 के अनुसरण में प्रसारित किये जाते है।

यह आदेश दिनांकं 01.04.2013 से प्रभावी होंगे।

क्रमंक : एक १४(१)(पालनहार)/मुबक्षा/सान्याअवि/१२-१३/33637 - 779 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

आयुक्त एवं व्यासन सचिव जयपुर दिनांक 29 . 7 . 6/3

प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

- विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायतीराज विमाग/नगरीय विकास विमाग, राजस्थान, जयपुर।

- 2. विराय स्वाबक, नाममाय मुत्रा महाबद्ध, प्रधावसाराज विमाग गण्यस्य विषयस्य विमाग, राजस्थाम, जवपुर।
 3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिसा विभाग जयपुर।
 4. महालेखाकार, लेखा व हक, राजस्थान, जयपुर।
 5. अतिरिक्त मुख्य सचिय, विस्त विमाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिसा यिभाग/नगरीय विकास विमाग/पंचायतीराज विभाग/चिकित्सा विगाग, जयपुर। 6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय -2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7. जिला कलेक्टर,
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिपद ..
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम, 10. वित्तीय सलाहकार/अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), मुख्यावास।
- मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/उपनिदेशक (पाल कल्याण)/सहायक निदेशक (महिला कल्याण)/सहायक निदेशक (छात्रावास). 12. जनसम्पर्क अधिकारी, मुख्यावास, जयपुर को वास्ते उचित प्रचार-प्रसार।
- 13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय,
- 14. उपनिदेशक / सहायक निदेशक / जिला समाज कल्याण अधिकारी, सानाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 15. सहायक निदेशक, जिला बाल संख्राण इकाई,

16. अधीक्षक, राजकीय किशोर गृह/सम्प्रेक्षण गृह/सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह/वासिका गृह/अगचारी वालिका गृह/विशेष गृह / शिशु शृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विमाग,

12. रक्षित पनावली।

D:\Devesh Chblpa\2012\Accounts\Letter for Palanhar Budget Allot, 2012-13.doex Ph. No.: 0141-2226640 Page 35 Website: www.sje.rajasthan.govlin Fax No.: 0141-2226631 E-mail: ecosjerajasthan@gmail.com

Government of Rajasthan Social Justice & Empowerment Department

•

No. F. 9(5)(18)()AP'S/ED'05-06-76-76-9

Jennur, Dated 24 - 1 9

ORDER

Sub. Amendment in rules governing grant and payment of Old Age and Widow Pension to destroics.

The Governor is pleased to order that the following amendment shall be made in the Rajasthan Old Age and Widow Pension Rules 1974, namely -

In the said Rules, the following proviso is added under the Rule 2

"Provided further that notwithstanding anything contained in this clause, a widow of any age who is HIV/AIDS positive and registered with the Rajasthan State Aids Control Society, shall-also be included in the definition of the desirate for the purpose of these Rules"

This order shall come into force with immediate effect

This bears the concurrence of Finance Department (Rules Division vide then 1 D. No. 3204 dated 10-2-09).

Commissioner & Secretary to Government

No. F. 9(5)(18)OAP/SJEE/05-06/16 163 - 478v Jaipur, Dated 24-249 Copy forwarded to '-

1. Accountant Gerenal, Rajasthan, jaipur.

2. PA to State Manuer, Social Justice & Empowerment Department, Rajarthan

3. P.S. to Principal Secretary (1), Florable Chief Minister, Rejesthan

4. P. S. in Principal Secretary, Figuree Department, Rajasthan,

5. P.S. to Principal Secretary, Social Justice & Empowerment, Rejusthan

6. All District Collectors, Rajasthan.

7 Deputy Secretary, Finance (Rules Division), Department, Rajasthan, Japan.

8. Deputy Secretary, Finance (GFA AR). Department, Rajasthan, Jaipur

9. Director Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur.


10. All Treesury Officers, Rajasthan.

11 Administrative Reforms (Gr.7) Department, Rajasthan, Japan

12. Vidhi Rachua Sangthan for Hindi Translation

Chief Absorbts Officer





राजस्थान सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वारथ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वारथ्य समिति स्वास्थ्य भवन, जयपुर

жить 1-29(39)NRHM/MMJRK/Circular/(19/569 O

GAID 9/12/2009

परिपत्र

राज्य मित्रमण्डल की आजा 113/2009 की अनुपालना म राज्य के संमस्त HIV AIDS मरीजों को तुरन्त प्रभाव से मुख्यमंत्री वीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के अन्तर्गत निःशुल्क पूरी जाँच मुप्त दवा और पूरे निदान की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय एतद द्वारा लिया जाता है।

> भिशन निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेपित है -

- । निजी सचिव प्रमुख सचिव मुख्यमत्री कार्यालय।
- 2 निजी सचिव माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मर्छा ।
- 3. निजी सतिव, मुख्य संशिव।
- निजी राचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
- ं निजी सचिव पमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
- समस्त सभागीय आयुक्त/ किला कलक्टर।
- समस्त निदेशक चिकित्स। एव स्वास्थ्य सेवाए राजस्थान जयपुर।
- समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/अधीक्षक मोडेकल कॉलंज एवं अस्पता राजस्थान ।
- समस्त संयुक्त निवशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवाए, राजस्थान ।
- 10. समस्त मुख्य चिकित्सा एव स्वारथ्य अधिकारी।
- समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला / सैटेलाइट / उप खण्ड चिकित्सालय।
- 12. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- समस्त प्रभारी अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ।
- समस्त प्रभारी अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्र .
- 15 प्रभारी सर्वर रूप का प्रक्रित कर लख है कि कृपमा संबंधित का ई मह कराव क श्रम करावें!

मिशन निदेशक ार्जुः प्रामीता स्थानम्य विष्कृत

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.2(30)नविवि / जनरल / 2014

जयपुर, दिनांक 1 4 OCT 2014

आयुक्त / सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण / नगर सुधार न्यास / आवासन मण्डल ।

विषय:— माननीय सर्वोच्च ऱ्यायालय के निर्णय सिविल रिट यानिका 400/2012 के द्वारा ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिये गठित एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों पर अभिमत दिये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सिविल रिट याचिका 400/2012 के द्वारा ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में लेख है कि योजनाओं में भूखण्ड का आवंटन राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम—1974 के नियम—17 में आवंटन किया जाता है।

आवास योजनाओं के आवंटन के संबंध में जो फार्म/आवंदन पत्रों का प्रकाशन किया जाता है, उन आवंदन पत्रों के प्रारूपों में आवंदक/प्रार्थी का Gender पूछा जाता है। उक्त प्रारूपों में पुरूष/स्त्री के स्थान पर पुरूष/स्त्री/अन्य लिखा जावे। अन्य में ट्रांसजेण्डर को भी स्त्री एवं पुरूष के समान एक वर्ग मानते हुए आवंटन की कार्यवाही की जावे।

(राज्यन्द्र सिंह शेखावत) संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

- 1. सचिव, सामाजिक कल्याण विभाग, जयपुर।
- 2. सचिव. स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- 3. सयुक्त शासन सचिव-प्रथम नविवि।
- 4. उप शासन सचिव-द्वितीय नविवि।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

राजस्थान सरकार (निर्वाचन विभाग)

क्रमांक एक 3(3)1/राल/निर्वा/2013/3486

जयपुर दिनांक 31.7:13

प्रेषक:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित:— . श्री मुदित कुमार सिंह कार्यक्रम अधिकारी, साथी, मकान नं. डी.--62, ग्राउन्ड फ्लोर, चौमू हाउःस के पास, सी-स्कीम, जयपुर।

1

विषय:— मतदाता पहचान पत्र में "अन्य" वर्ग अंकित करने बाबत्। प्रसंग:— आपका पत्र दिनांक 12 जुलाई, 2013 के क्रम में। महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के आवेदन पत्र संख्या—6 में लिंग पुरुष एवं स्त्री के अलाव तृतीय वरं के लिए धिकल्य "अन्य" सम्मिलित किया हुआ है, इसी आधार पर मतदाता पहचान । पत्र तैयार किये जाते है, तथा मतदाता सूचियों में वर्ग विशेष अंकित करने हेतु विनाग स्तर पर विशेष तौर से निर्देश दिनांक 24.07.2013 भी जारी किए गये है, जिसकी प्रति संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय.

(पी.सी.गुप्ता)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर

D:\PAWAN JI S R\LETTER

राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ 3/III-A/E!ec./EPIC-VII/Gen./11/ 3230 जयपुर, दिनांक : 24 07.2013

प्रेषक :- मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति : । मै. मल्टोवेव इनोवेशन, बी-4, गणपति प्लाजा के पीछं, जयपुर

2. मैं. बाइनरी सिस्टम्स, बी-6, अक्षत अधार्टमेन्ट, बिहारी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर

 मै. बिजनेस इन्फोरभेशन प्रोसेिंग सर्विसेत, 128, विद्युत नगर बी, क्वींस खेड, जयपुर

4. मे. नैचुरल साफ्टवेयर्स प्रा. ज़ि. सी-2, पंचशील कॉलोनी, पुरानी चुंगी के पास, अजमेर रोड, जयपुर

मै. जैम कम्प्यूटर्स, बी-2, अक्षत अपार्टमेंन्ट, बीहारी मर्ग, बनीपार्क जयपुर

विषय :- गतदाता फोटो पहचान पत्रों में मतदाता का सही लिंग अंकित करने संबंध में।

ग्रहोदय,

उपरोक्त विषयानार्गत नये नतदाताओं द्वारा प्रपत्र संख्या 6 में स्वयं के लिंग का उल्लेख किया जाता है. जिसके आधार पर गतदाता सूची के डेटा में पुरूष गतदाता के लिये "M" महिला मतदाता के लिये "F" एवं अन्य के लिये "O" स्टोर किया जाता है।

अतः यह सुनिश्चित करावें कि यदि मतदाता सूची के डेटा में मतदाता का लिंग "M" है तो पहचान पत्र में मतदाता का लिंग पुरूष, "F" है तो स्त्री एवं "O" है तो अन्य शंकित करावें।

(,3)

(एम.एम.तिवाडी)

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.)

राजस्थान, जयपुर ।

Of m

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ ७(४)अकाद / निकाशि / विविध / 2010 / 2 4 ८

दिनांकः 🎗 । नवम्बर, 2014

प्राचार्य, समस्त राजकीय / निजि महाविद्यालय, राजस्थान।

विषयः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल रिट पिटिशन संख्या 400 / 12 दिनांक 15.04.2014 के द्वारा ट्रान्सजेन्डर समुदाय के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों पर अभिमत दिये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप महाविद्यालय में transgender community के विरुद्ध किसी भी प्रकार के discrimination को monitor करने हेतु discrimination special cell बनाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डॉ. अनूप श्रीवास्तव) संयुक्त निदेशक(अकादमी) कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ ७(४)अकाद / निकाशि / विविध / २०१० / २ ५ ८

दिनांकः 🎗 । नवम्बर, 2014

प्रतिलिपिः वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया आयुक्तालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

C 39

(डॉ. अनूप श्रीवास्तव) संयुक्त निदेशक(अकादमी) कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

My Many Bar

राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ १३(४८)सा.वि./आवंटन/२०००-।। जयपुर, दिनांक

02-07-2015

जिला कलपटर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख विकित्सा अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, समस्त, राजस्थान।

> विषय - एच.आई.वी. (एड्स) पीडित परिवारों को (जो बीपीएल सूची में शामिल है) को अन्त्योदय अन्न योजना की सूची में प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने के कम में।

प्रसंग - भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 03.06.2009 एवं विभागीय समसंख्यक पत्र दिनाक 08.02.2010, 20.06.2011 तथा 28.05.2012 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि उक्त पत्रों द्वारा भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र दिनांक 03.06.2009 (छायाप्रति संलग्न) की विमाग द्वारा सहवन से गलत व्याख्या किए जाने के कारण जिला रसद अधिकारियों को पत्र दिनांक 08.02.2010 व 20.06.2011 तथा चिकित्सा एवं स्वारथ्य विभाग को पत्र दिनांक 25.06.2009, 26.08.2009, 26.11.2009 व 28.05.2012 एवं ग्रामीण विकास एवं राजस्थान स्टेट एडस कन्ट्रोल सोसायटी को पत्र दिनाक 27.07.2012 प्रेषित किए जाकर सूचना प्राप्त की जाती रही कि:-

"समस्त एच.आई.वी. पीडित परिवारों को, जो वर्तमान में बीपीएल श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, इनका चयन किया जाकर इन्हें अन्त्योदय अन्न योजना में सम्मिलित कर लाम प्रदान किया जावे।"

जबकि प्रासंगिक पत्र के संबंध में रिट पिटिशन (सिविल) संख्या-535 / 1998 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2009 द्वारा निम्नलिखित आदेश प्रदान किए गए हैं:-

"Learned counsel appearing for the petitioner stated that many of these patients are living below the Poverty Line and so they should be provided with 'Antyodaya Anna Yojana Card' to get food supply from PDS stores..."

अतः इस संबंध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 03.06.2009 का बिन्दु संख्या—3

"3. Keeping in view the above order of the Hon'ble Supreme Court and provisions in the existing AAY guidelines as in para 1 above, all State/UT Governments are requested to review the existing list of AAY families in their respective States/UTs, delete ineligible AAY families therefrom and include all eligible BPL families of HIV positive persons in the AAY list on priority, against the criteria mentioned in para 2(b) and 2(c) of the guidelines of AAY families under Antyodaya Anna Yojana, circulated vide D.O. letter No. 6(5)/2005/PD-I dated 12th May, 2005, within respective ceilings on numbers of the AAY families communicated by this Department."

उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे। सलग्न:- उपरोक्तानुसार

> हण (डॉ० सुबोध अग्रवाल) प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।

2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।

निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

5 निजी सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।

निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर।

7 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।

8 रक्षा पत्रिका।

(महावीर प्रसाद शर्मा) ^{२।} अतिरिक्त खाद्य आयुक्त



RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

RAJASTHAN HIGH COURT PREMISES, JAIPUR BENCH, JAIPUR

(Phone: 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.2385877) smail: rslsajp@gmail.com website:www.rlsa.gov.in

No. 309-542

Dated 19.04.2014

To

The Chairman

District Legal Services Authority All Rajasthan.

SUB: Directions given by Hon'ble the Apex Court to safeguard the rights of transgender community.

Sir.

With reference to the above mentioned, I am under direction to intimate you that under judgment dated 15.01.2014 passed in case of National Legal Services Authority Vs. Union of Indian & Others (Writ Petition No. 400 of 2012), Hon'ble the Apex Court has issued following directions to safeguard the interest of transgender community:-

- (2) Hijras, Eunuchs, apart from binary gender, be treated as "third gender" for the purpose of safeguarding their rights under Part III of our Constitution and the laws made by the Parliament and the State Legislature.
- (2) Transgender persons' right to decide their self-identified gender is also upheld and the Centre and State Governments are directed to grant legal recognition of their gender identity such as male, female or as third gender.
- (3) We direct the Centre and the State Governments to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments.
- (4) Centre and State Governments are directed to operate separate HIV Serosurvellance Centres since Hijras/ Transgenders face several sexual health issues.
- (5) Centre and State Governments should seriously address the problemsbeing faced by Hijras/Transgenders such as fear, shame, gender dysphoria, social pressure, depression, suicidal tendencies, social stigma, etc. and any insistence for SRS for declaring one's gender is immoral and illegal.
- (6) Centre and State Governments should take proper measures to provide HIV Sensitive Social Protection Compendium at care to TGs in the hospitals and also provide them separate

public toilets and other facilities.

- (7) Centre and State Governments should also take steps for framingvarious social welfare schemes for their betterment.
- (8) Centre and State Governments should take steps to create public awareness so that TGs will feel that they are also part and parcel of the social life and be not treated as untouchables.
- (11) Centre and the State Governments should also take measures to regain their respect and place in the society which once they enjoyed in our cultural and social life.

Complete text of the aforesaid judgment can be accessed and downloaded from the official website of Hon'ble Apex Court, the link of which is as under:-

http://judis.nic.in/supremecourt/qrydisp.aspx?filename=41411

Copy of letter dated 16.04.2014 received from National Legal Services Authority in this behalf is enclosed herewith.

This is for kind information and necessary action. Please send the compliance report within a fortnight.

With regards.

Yours sincerely

Encl. As Above

(K.B.Katta) Member Secretary

राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विमाग

अम्बेडकर गवन, जी 3/1, राजमहल रेजिडेंसी क्षेत्र, जयपुर।

क्रमांक एक 15 () () सा.सु./म.क./सान्याअवि/2016/ 36459-92 दिनांक 8/06/2016

जिला कलेक्टर

्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने एवं उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोडने हेतु जिला स्तरीय समिति के गठन बाबत।

ति विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुघार (ग्रुप-3) विभाग आदेश कमांक प 6 (20)प्र.सु. 3/2016 दिनांक 01.04.2016 द्वारा तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को पहचान पन्न जारी पने एवं उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया। उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्यों का मनोनयन किया जायेगा:-

- 1. सामाजिक कार्यकर्ता
- 2. तृतीय लिंग वर्ग के 2 प्रतिनिधि
- 3. एक मनोवैज्ञानिक (स्थानीय स्तर पर उपलब्ध)

. क.सं. 3 पर मनोवैज्ञानिक का मनोनयन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाना है। क.सं. 1 पर सामाजिक कार्यकर्ता तथा क सं. 2 पर तृतीय लिंग वर्ग के 2 प्रतिनिधि का मनोनयन जिला कलेक्टर की अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। कृपया क.सं. 1 एवं 2 हेतु मनोनयन के प्रस्ताव मय अभिशंषा निम्न प्रारूप में भिजवायें :-

क्र. नाम	सामाजिक कार्यकर्ता के शैक्षणिक रूप में / तृतीय लिंग वर्ग योग्यता के प्रतिनिधि के रूप में	पूर्ण पता	ट्रांसजेण्डर समुदाय के कल्याण कार्यों के अनुभव का विवरण
----------	--	-----------	---

यदि किसी प्रकार के दस्तावेज संलग्न किये जाने हो तो दस्तावेज संलग्न कर निजवाये जा सकते हैं। कृपया योग्य एवं अनुभवी तथा अच्छे चरित्र एवं निष्ठावान व्यक्तियों के प्रस्ताव मय अभिशंषा मिजवायें।

(अम्बरीष कुमार) निदेशक

क्रमांक क्रमांक एफ 15 () ()सा.सु./म.क./सान्याअवि/2016/36493-526 दिनांक ६)०६/६

चपनिदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
 को प्रैषित कर लेख है कि प्रस्ताव जिला कलेक्टर की अभिशंषा से 15 दिवस में भिजवाना

अशोक कुमार) अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 6(20) प्र.सु. / ग्रुप-3 / 2016

जयपुर, दिनांक 01-04-2016

आज्ञा

महामिहम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राज्य में तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने एवं उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार एतद् द्वारा किया जाता है :-

क्रं. सं.	अधिकारी	पद
1	कलक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
3	एक सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
4	तृतीय लिंग वर्ग के दो प्रतिनिधि	सदस्य
5	एक मनोवैज्ञानिक / (स्थानीय स्तर पर उपलब्ध)	सदस्य
6	उपनिदेशक / सहायक निदेशक सान्याअवि	सदस्य - सचिव

उक्त समिति जिला स्तर पर तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों की पहचान कर प्रमाण—पत्र/पहचान—पत्र जारी करने का कार्य करेगी। यह प्रमाण—पत्र/पहचान—पत्र सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए जैसे राशनकार्ड, आधारकार्ड, एवं जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए मान्य होगा।

उक्त जिला स्तरीय समिति में क्रम संख्या (३) पर अंकित सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्रम संख्या (४) पर अंकित तृतीय लिंग वर्ग के दा प्रतिनिधि सदस्य जिला कलक्टर की अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

क्रम संख्या (5) पर मनोवैज्ञानिक की शैक्षणिक योग्यता एम. ए. (साइकोलोजी) होगी एवं अनुभवी व्यक्ति को वरीयता प्रदान की जायेगी, जिसका मनोनयन जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, तथा ये बिना कारण बताये हटाये जा सकेंगे।

समिति की बैठक आवश्यकतानुसार जिला कलक्टर द्वारा आयोजित की जायेगी। इस संबंध में आवश्यक इस्तावेज जैसें पंजिकाऐं / पत्राविलयां आदि जिले के उपनिदेशक / सहायक निदेशक (सदस्य—सचिव) द्वारा संधारित की जायेंगी। समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

आज्ञा से

र भाषाम् (रमेश चुन्द्र भारद्वाज) शासने उप सचिव प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है :--

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।

2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।

3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।

4. मुख्य सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) शासन सचिवालय, जयपुर।

5. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शासनसचिवालय, जयपुर।

6. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय,

7. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां समस्त सम्बन्धित को वितरण हेतु प्रेषित है।

8. समस्त जिला कलेक्टर

9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

10. समस्त उपनिदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान।

11. गार्ड पत्रावली।

(के.के.खण्डेलवाल) अनुभागाधिकारी

राजस्थान रास्कार

निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1-ए, राजमहल होदल के पीछे, सिविल दुमईन, जयपुर

PART 18(1) 18(1) 18 071 18(19)

निदेशक

एवं पदेन शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

विषय : एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोग तथी हिंजडा/ट्रांसजेण्डर को राज्य

सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन शोजना में सम्मिलित करने वावत।

परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर

के पत्रांक 1839 दिनांक 16.06.2015 के क्रम में

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर ने निदेशालय में प्रासंगिक पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि पूर्व में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 0.9(0.5)(1.3)/वियो.पेंशन/सान्याअवि/2.0.1.3-1.4/ 8344 दिनांक 17 मई, 2013 के द्वारा हिंजहा समुदाय को मुख्यधारा में लाने व उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुये, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेशन नियम, 2013 के अध्याय 2 के नियम 4 (i) के नीचे 4 (ii) एवं 4 (iii) में जोड़कर पेंशन योजना में प्रावधान कर हिंजडा समुदाय को मुख्यधारा के साथ जोड़ा गया है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया को हिंजडा/ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए सुगम बनाने बाबत पत्र प्राप्त हुआ है।

अतः राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायदी, जयपुर से प्राप्त प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति पत्र के साथ संलब्न करते हुये निवेदन हैं कि आवेदन प्रक्रिया को हिंजडा/ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए सुगम बनाने किये जाने के संबंध में आवश्यक

कार्यवाही कराने का श्रम कराये।

संलब्न : उपरोक्तानुसार।

S orays, Rais : 23/6/15

एवं संयुक्त शासन सिवव

maye, featin 9216/15 कन्ट्रोल सोसायदीत स्वास्थ्य

明朝 : 四 16(1)() | 1 1 1 1 25 30

्रव्यतिलिपि : परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स भवन, सी-स्कीम, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।



राजिस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ,जयपुर

Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line- 15100 कमांक :-एफ 8 (01) / पैरा-लीगल वॉलियन्टर / DS-II/ 16074 - 1610 दिनांक :- 16/11 | 2-016 प्रेषिति:-

श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सैशन न्यायाधीश) समस्त राजस्थान।

विषय:- पैरा लीगल वोलेन्टियर्स नियुक्ति के कम में। प्रसंग:- इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक 3121-3338 दिनांक 02 05 2012

महोदय.

सादर निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के जिस्से पूर्व में जिला प्राधिकरण / ताल्लुका सिमिति स्तर पर पैरा लीगल वोलेन्टियर्स की नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये गये थे। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा के निर्देशानुसार HIV के साथ जी रहे लोग, उच्च जोखिम समुदाय एवं ट्रासजेण्डरर्स को, जो PLV की योग्यता पूरी करते हो, PLV के रूप में चयन करें एवं जिला / तालुका स्तर पर नियुक्त करें ताकि वे HIV समुदाय एवं ट्रांसजेण्डर्स को कानूनी अधिकारों की जानकारी देकर उनको कानूनी जानकारी से सक्षम बना सकें।

भवदीय, — **Sd —** (एस०कं०जेन) सदस्य सचिव (जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

कमांक: 16106

दिनांक: 10-11-2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेवित है— /गरियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एउस कट्रोल सोसायटी, निदेशालय चिकिरला एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, जयपुर।

स्तस्य सिवंव ८० 1/

राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

णी 3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

क्रमांक:- एफ 9(05)(12-1) / सा.न्या.अ.वि / 2015-16 / 14 न ह े -

जयपुर,दिनांक : \ह | 11 | 16

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के अन्तर्गत विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 8344 दिनांक 17.05.2013 से प्राकृतिक रूप से हिंजडेपन से ग्रसित व्यक्तियों को पेंशन लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया था। "प्राकृतिक रूप से हिंजडेपन ग्रस्त व्यक्ति" के स्थान पर "ट्रान्सजेण्डर" पढा जावे।

> (रवि जैन) निदेशक

क्रमांक:- एफ 9(05)(12-1) / सा.न्या.अ.वि / 2015-16 / 14 नि १६ - 15 | १६ जयपुर, दिनांक : (१ / ॥) ... प्रतिलिपिः निग्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।

2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि,राजस्थान जयपुर।

3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

- 4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयप्र।
- 5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त / ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज. विभाग / राजस्व / नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर।

6. निजी सचिव, निदेशक, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।

7. समस्त जिला कलक्टर।

निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।

9. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन.आई.सी. राजस्थान, जयपुर ।

10. अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग. राजस्थान।

11. सगस्त कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी।

12. रामस्त उपखण्ड अधिकारी / समस्त विकास अधिकारी।

13. समस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।

14. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (पेंशन)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ ७(४)अकाद / निकाशि / प्रवेशनीति / 2013 / ग / ३८३

दिनांकः 23 जून, 2015

प्राचार्य, समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय राजस्थान।

विषयः ट्रांसजेण्डर (Third Gender) के अभ्यर्थियों के प्रवेश बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांकः 15.04.2014 के अनुसरण में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े तृतीय लिंग के लोगों को उच्च शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभागीय निर्णयानुसार निर्देशित किया जाता है कि :-

- <u>></u> 1. यदि तृतीय लिंग (third gender/trans gender) के किसी अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सम्पर्क किया जाता है तो उसे CAF के माध्यम से 31 जुलाई, 2015 तक प्रवेश दिया जावे (CAF में आवश्यक संशोधन किये गये हैं)।
 - इन अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों पर न्यूनतम उत्तीर्णांक 2. पर प्रवेश देय है।
 - इस वर्ग के अभ्यर्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना है। 3.
 - इस वर्ग में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की लिंग संबंधी स्वयं की घोषणा आधार रहेगी। 4.

यदि इस वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश लिया जाता है तो उसकी सूचना आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को भेजना सुनिश्चित करें।

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपूर

क्रमांकः एफ ७(४)अकाद / निकाशि / परीक्षा / २०१३ / ॥ / २०८२

दिनांकः 23 जून, 2015

वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का प्रतिलिपिः श्रम करें।

> संयुक्त निदेशक(अकादिमक). कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार श्रमं तथा नियोजन विभाग

6104

क्रमांक प01(2)/बेरोजगारी भत्ता योजना/2012-13/ दिनांकः ।। 6 | 2 019

आदेश

राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज में समाहित बिन्दु संख्या 10 के उप बिन्दु 1 के अनुसरण में पूर्व से संचालित 'अक्षत योजना' के नाम में परिवर्तन करते हुए राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी मत्ता देने हेतु ''मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना'' के दिशा—निर्देश स्पष्ट किये जाते है:—

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना

- 1. नाम :- यह योजना"मुख्यमंत्री युवा संम्बल योजना"कहलाएगी।
- 2. प्रचार/विस्तार :- यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी।
- 3. प्रारम्भ होने की तिथि :- यह योजना 1 फरवरी, 2019 से लागू हो चुकी है।
- 4. परिभाषा :--
 - (i) योजना :- "मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना "
 - (ii) पारिवारिक आय: परिवार की कुल वार्षिक आय में माता-पिता, पति-पत्नी तथा अवयस्क बच्चों की आय सम्मिलित है।
 - (iii) बेरोजगार :—योजना में निर्धारित पात्रता में आने वाले राज्य के मूल निवासी रनातक एवं समकक्ष योग्यताधारी बेरोजगार जो आवेदन की तिथि को स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है, परन्तु आवेदन तिथि तक उसे रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो अथवा स्वयं का कोई रोजगार नहीं कर रहा हो।
 - (iv) योग्यताधारी: --राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कालेजों से स्नातक डिग्री व समकक्ष डिग्री।
 - (V) बेरोजगारी भत्ता :- पात्र बेरोजगारों को दिया जाने वाला भत्ता।

5. पात्रता :--

- (i) प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- (ii) (क)राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदृत्त स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए।
 - (ख) राज्य से इतर अन्य राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने पर पात्र होगी।
- (iii) प्रार्थी राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं हो। प्रार्थी के पास स्व-रोजगार भी नहीं हो।
- (iv) आयु सीमा :- भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी परन्तु अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिए 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) आशार्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी।
- (v) प्रार्थी आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में ऑनलाईन पंजीकृत होना आवश्यक है।

- (vi) प्रार्थी वर्तमान में अन्य किसी कोष से किसी भी प्रकार की मत्ता/छात्रवृति या किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो।
- (vii) प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग या संस्थान द्वारा किसी भी पद पर से पदच्युत(बर्खास्त) नहीं किया गया हो।
- (viii) बेरोजगारी भत्ता प्रार्थी को अधिकतम दो वर्ष की अवधि अथवा उसके नियोजन/ स्व नियोजन प्राप्त करने तक की अवधि जो भी पहले हो के लिए स्वीकार्य होगा।
- (ix) भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी का रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरन्तर जारी रहना चाहिए।
- (x) यदि एक परिवार में एक से अधिक बेरोजगार है तथा वे इस योजना के तहत योग्य हैं तो उनमें से अधिकतम दो व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देय होगा।
- (xi) प्रत्येक वर्ष में अधिकतम एक लाख साठ हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता लाभांवित किया जावेगा जो पात्रता की शर्तों के अनुसार अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक देय होगा। प्रतिवर्ष एक जुलाई को पात्र होने वाले युवाओं का चयन स्वतः पोर्टल के माध्यम से किया जावेगा तथा एक लाख साठ हजार से अधिक पात्र आवेदक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले आवेदकों को वरीयता दी जावेगी। यदि एक जुलाई को एक लाख साठ हजार से अधिक आवेदक पात्र होते हैं तो उनमें से अधिक आयु के एक लाख साठ हजार युवाओं का भत्ता (पूर्व में प्राप्त कर रहे युवाओं सिहत) चयन कर बेरोजगारी भत्ता दिया जावेगा। यदि एक जुलाई को एक लाख साठ हजार से कम आवेदक पात्रता रखते हैं तो उन सभी को चयनित कर बेरोजगारी भत्ता दिया जावेगा व एक लाख साठ हजार में से शेष युवाओं का चयन आगामी एक जनवरी को किया जावेगा।
- 6. <u>अपात्रता</u> :- इस योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार के आशार्थी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे--
 - (i) वे बेरोजगार इंजीनियर्स जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किये जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है।
 - (ii) इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात भी अपनी शिक्षा निरन्तर रख रहे हैं।
 - (iii) इस प्रकार के बेरोजगार जो कि किसी अन्य योजना जैसे कि PMGSY & MNREGA तहत् लाभ प्राप्त कर रहे हैं। MNREGA में पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
 - (iv) ऐसे बेरोजगार स्नातक जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक हो।
 - (v) पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना —2007 या अक्षत कौशल योजना —2009 या अक्षत योजना (राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012) में भत्ता प्राप्त कर चुके आशार्थी।
 - (vi) जिनको किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो।
 - (vii) जिनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हो।
 - (viii) जो सरकारी / निजी क्षेत्र में सेवारत हो या जिनका स्वयं का रोजगार हो।
 - (ix) जो केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृति, सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हों।
- 7. **बेरोजगारी भत्ता भुगतान** :— योजनान्तर्गत पात्र प्रार्थियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान निम्न प्रकार किया जायेगा:—
 - (अ) पुरूष प्रार्थी 3000 रूपये प्रतिमाह।
 - (ब) महिला एवं विशेष योग्यजन (नि:शक्तजन) प्रार्थी- 3500 रूपये प्रतिमाह।

बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने/स्वयं का रोजगार पाने तक, जो भी पहले हो, के लिए ही किया जायेगा। यदि कोई लाभार्थी बिन्दु 6 के अनुसार अपात्र हो जाता है तो उसका भत्ता उसी दिनांक से बन्द कर दिया जायेगा।

8. आवेदन प्रक्रिया :--

- (i) बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय, जहां वह पंजीकृत है, ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र / दस्तावेज ई—साईन कर अपलोड करने होंगे :--
 - 1. पात्र आशार्थी द्वारा स्वघोषित आवेदन पत्र (Annexure -1)।
 - 2. योजना के पात्रता संबंधी बिन्दु संख्या 5 तथा अपात्रता संबंधी बिन्दु संख्या 6 के संबंध में प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित स्व—घोषणा।
 - 3. विशेष योग्यजन (नि:शक्तजन) प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नि:शक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र ।
 - 4. प्रार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। राज्य से बाहर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विवाहित महिला प्रार्थी की दशा में पित का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण पत्र।
 - 5. प्रार्थी की जन्मतिथि के संबंध में सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र / अंकतालिका।
 - 6. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंकतालिका / डिग्री ।
 - 7. प्रार्थी के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में खोले गये एकल बचत बैंक खाते की पास—बुक की प्रति।
 - 8. प्रार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में Annexure -I (तहसीलदार/ नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित) तथा Annexure -K
 - 9. अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रार्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
- (ii) प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के प्रथम वर्ष की समाप्ति पर बेरोजगार होने का आवेदन पत्र (बेरोजगार होने संबंधी) ई—साईन कर अपलोड करना होगा। साथ ही प्रार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में Annexure –I (तहसीलदार/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित) तथा Annexure –K में अपलोड करना होगा। गलत तथ्यों के आधार पर वार्षिक आय प्रमाणीकरण करना दण्डनीय माना जायेगा।
- (iii) प्रार्थी को यदि भत्ता प्राप्त करने की अवधि में किसी प्रकार का रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त होता है तो वह उसी माह में उपस्थित होकर लिखित अथवा रिजस्टर्ड डाक से संबंधित रोजगार कार्यालय को सूचित करेगा। सही समय पर सूचना न देकर भत्ता प्राप्त करना दण्डनीय माना जायेगा।
- (iv) चयनित/अनुमोदित प्रार्थी को एकल बचत बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में खुलवाना अनिवार्य होगा। जिसका पूर्ण ब्यौरा प्रार्थी अपने आवेदन पत्र में अंकित करेगा।
- (v) प्रार्थी को सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदृत्त आय प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ ई—साईन कर अपलोड करना होगा।
- (vi) यदि कोई प्रार्थी किसी भी प्रकार के गलत तथ्य/सूचना देता है तो उसके विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जायेगी।
- (vii) बेरोजगारी भत्ते हेतु प्रार्थी किसी भी ई—मित्र कियोस्क के माध्यम से/स्वयं की SSO ID से लॉगइन कर Employment Exchange Management System (EEMS) पर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

MA

9. बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति, भुगतान की प्रक्रिया तथा बजट आवंटन :--

- (i) इस योजना का संचालन एवं मोनिटरिंग संबंधित रोजगार कार्यालय कार्यालयाध्यक्षों के माध्यम से किया जायेगा। इस भत्ते के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा रोजगार विभाग को बजट आवंटन किया जायेगा।
- (ii) यदि किसी प्रार्थी को भत्ता प्राप्त करने की अवधि में किसी भी प्रकार से अपात्र पाया जायेगा तो भुगतान किये गये भत्ते की वसूली की जायेगी।
- (iii) इस योजना की क्रियान्विति के लिए रोजगार सेवा निदेशालय नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।
- (iv) बेरोजगारी भत्ते की राशि मासिक आधार पर देय होगी।
- (v) बेरोजगारी भत्ते के भुगतान हेतु एक ही बैंक से करार किया जायेगा।
- (vi) रोजगार विभाग तथा संबंधित जिला कलक्टर समय समय पर तथ्यों की जांच कर सकेंगे।

इस योजना की स्वीकृति प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के आई.डी. क्रमांक 3319 छ 291 दिनांक 301312019 के द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

आजा से

(निकया गोहाएन) संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक प01(2)/बेरोजगारी भत्ता योजना/2012-13/6 bs- दिनांकः । । | 61 2019 प्रतिलिपि:-

- 1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राज0 जयपुर।
- 5. संभागीय आयुक्त,
- 6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
- 7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 9. निदेशालय के समस्त अनुभागाधिकारी।
- 10. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर), रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर।
- 11. रोजगार विभाग के समस्त कार्यालयाध्यक्ष, राजस्थान।

्रीहि॥१ (निकया गोहाएन) संयुक्त शासन सचिव

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत ऑनलाईन अपलॉड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

- 1. पात्र आशार्थी द्वारा स्वघोषित लिखित आवेदन पत्र (Annexure -1)।
- 2. योजना के पात्रता संबंधी बिन्दु संख्या 5 तथा अपात्रता संबंधी बिन्दु संख्या 6 के संबंध में प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित स्व—घोषणा।
- 3. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र ।
- 4. प्रार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। राज्य से बाहर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विवाहित महिला प्रार्थी की दशा में पित का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण पत्र।
- 5. प्रार्थी की जन्मतिथि के संबंध में सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र/अंकतालिका।
- 6. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंकतालिका / डिग्री।
- 7. प्रार्थी के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में खोले गये एकल बचत बैंक खाते की पास—बुक की प्रति।
- 8. प्रार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में Annexure –I (तहसीलदार/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित) तथा Annexure -K
- 9. अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रार्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।

Annexure-1

The written declaration as given hereunder will end of the application form for getting Unemploymen	
I	Son/
Daughter/ Wife of Shri	-Age(date of birth)
resident of	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rajasthan,	hereby declare that
the informtion given above and in the enclosed docu	uments is true to the
best of my knowledge and belief and nothing has been	en concealed therein.
I am well aware of the fact that if the information g	iven by me is proved
false/not true, I will have to face the punishment as	per the law. Also, all
the benefits availed by me shall be summarily withdo	rawn.

Signature of applicant

Affix recent photograph of the applicant with signature

प्रार्थी द्वारा योजना की शर्तों को पूर्ण करने संबंधी स्व-घोषणा

में ______पुत्र श्री घोषणा करता हँ / करती हँ :--

- (i) वे बेरोजगार इन्जीनियर्स जो कि राज्य सरकार की वेरोजगार इन्जीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किये जाने की योजना के तहत पात्रता रखतें हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है।
- (ii) इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात् भी अपनी शिक्षा निरन्तर रख रहें हैं।
- (iii) इस प्रकार के बेरोजगार रनातक जो कि किसी अन्य रोजगार योजना जैसे कि PMGSY & MNREGA के तहत लाभ प्राप्त कर रहें हैं। MNREGA में पंजीकृत बेरोजगार रनातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- (iv) ऐसे बेरोजगार रनातक जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक हो।
- (v) पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना 2007 या अक्षत कौशल योजना 2009 या अक्षत योजना (राज्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2012) में लाभ प्राप्त कर चुके आशार्थी।
- (vi) जिनको किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो।
- (vii) जिनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हो।
- (viii) जो सरकारी / निजी क्षेत्र में सेवारत हो या जिनका स्वयं का रोजगार हो।
- (ix) जो केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृति, सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हो।
- (x) मेरे परिवार में मेरे सहित अधिकतम 2 पात्र व्यक्तियों ने आदिनांक तक अक्षत योजना 2007 या अक्षत कौशल योजना 2009 या अक्षत योजना (राज्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2012) में भत्ता प्राप्त किया हो।

उपरोक्त स्व—घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या (i) से (x) तक मुझ पर लागू नहीं होते तथा मैं योजनानुसार अपात्र नहीं हूँ। यदि उपरोक्त घोषणा पत्र बाद में झूठा साबित होने पर भारतीय दंड संहिता, अपराध दंड संहिता तथा अन्य विधि सम्मत कानून के तहत कार्यवाही हेतु मैं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

आय का घोषणा पत्र

आ	वेदक सम्बन्धी आवश्यक सूच	ना (वैकल्पिक	बिन्दु को 🗸 से	चयन करे)		
1.	प्रार्थी का नाम*				प्रार्थी का फोटो	
2.	पिता का नाम*				(पासपोर्ट साईज)
3.	निवास स्थान का पूर्ण पता* (क) वर्तमान पता :				(उत्तरदायी व्यक्ति फोटो सत्यापित क	
	(ख) स्थाई पता :- [
4.	गाँव / शहर*	तहर	भील•	· ਯਿਗ* [
5.	जन्म दिनांकः	G	ान्म स्थान		REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL	
6.	लिंग* पुरुष]महिला वैव	।हिक स्थिति : वि	वाहित अविवाहि	a 🔝	
7.	धर्म (आवेदक)*:	जाति*		उप जाति*		
8.	क्या आप/आपका परिवार	राजस्थान के	मूल भिवासी है?	हाँ] नहीं	
10	क्या आप आयकर दाता हैं* . मोबाईल नम्बर . पेन कार्ड होने की दशा			हाँ	नहीं	
	अद्यतन प्रति संलग्न करें। . टिन नम्बर होने की दशा में अद्यतन प्रति संलग्न करें।					
13	. परिवार के सदस्य व उनकी	and the same of th				
	के.सं. सदस्य का नाम	उम	सम्बन्ध मुखिया से	आय/व्यवसाय व उसकी प्रकृति	वार्षिक आय (रुपये)	
	2000 H		Hunter		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
	अन्य स्त्रोत से आय	(यथा मकान	किराया, ब्याज, पें	 शन, शेयर, म्यूचुअल	 फण्ड)	
14	. उक्त तथ्यों के सत्यापन स्व संलग्न है।	रूप दो उत्तरव	तयी व्यक्तियों की	साक्ष्य प्रमाण पत्र एव	स्वयं का शपथ-पत्र	
	में तसदीक करता/	करती हूं कि	उपरोक्त विवरण	मेरी जानकारी एवं वि	श्वास के अनुसार सही है।	
	दिनांकः/					
	स्थान			y	ार्थी के हस्ताक्षर	

उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र

(i) गवाह* :	
में पुत्र	1/पुत्री श्री
निवासी [
विभाग का नाम	• पद
पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान व	करता हूं कि,
प्रार्थी / प्रार्थीया	पुत्र/पुत्री श्री
निवासी	
को भली प्रकार से जानता हूं इनकी वा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्त्रो	
मैं पुर	(हस्ताक्षर / उत्तरदायी गवाह) गम दिनांक स्थान प्रित्री श्री
निवासी	
विभाग का नाम	पद
पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान व	करता हूं कि,
प्रार्थी / प्रार्थीया	पुत्र/पुत्री श्री
निवासी	
को भली प्रकार से जानता हूं इनकी वा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्त्रो	
	(हस्ताक्षर / उत्तरदायी गवाह) गम रथान रथान

नोट - आवेदक की नदीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर दिपकाएं (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें। उत्तरदायी व्यक्ति यथा - संसद सदर्य/विधान सभा सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद् सदस्य/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगरपालिका अध्यक्ष/स्कूल के हंडमास्टर/सम्बन्धित पी,एच.सी/सी,एच.सी. के चिकित्सक/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता

prease yeload

Prease yeload

राजस्थान सरकार श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

कमांकः प.1(2)बेरो.भत्ता / 12-18 / पार्ट-111

जयपुर, दिनांक

U 9 OCT 2019

आदेश

श्रम एवं नियोजन विभाग के आदेश क्रमांक प.1(2)बेरो.भत्ता/2012-13/6105- 6209 दिनांक 11.06.2019 के द्वारा राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियो को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के दिशा निर्देश जारी किये गये है।

राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियो को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के दिशा निर्देशों से संबंधित आदेश कमांक प.1(2)बेरो. भत्ता/2012-13/ 6105-6209 दिनांक 11.06.2019 के विद्यमान बिन्दु संख्या-5 (ii) एवं बिन्दु संख्या-7 में निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

विन्दु संख्या-5(ii):-''(ग) ट्रान्सजेन्डर श्रेणी के आशार्थी राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से प्रद्त स्नातक डिग्री धारक'' होना चाहिये।

बिन्दु संख्या-7:- ''(स) ट्रान्सजेन्डर श्रेणी के लिये पात्र आशार्थी 3500/- रूपये प्रतिमाह''।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101904162 दि.13.09.2019 के कम में जारी किये जा रहें है।

आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।

- 2 निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार), कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग जयपुर।
- 3 व शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4 अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
- 6 संभागीय आयुक्त---।
- 7 समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
- 8 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पंक विभाग, जयपुर।
- आयुक्त कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, जयपुर।

10 संयुक्त निदेशक (स्व. रोजगार), रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर।

- 11 ए.सी.पी. (उप निदेशक), रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।
- 12 रोजगार विभाग के सगस्त कार्यालयाध्यक्ष, राजस्थान।

सहायक शासन सचिव

38/Labour/order/Lokesh Rathi

राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

पत्र कमांक:एफ 13(10)(5)खा.वि./आवंटन/2013

जयपुर, दिनांक : 08-09-95)9

समस्त, जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।

> विषय:— खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों के रूप में एड्स पीडित व्यक्तियों के चयन के समय उन्हें उपलब्ध कराई गई ग्रीन डायरी को प्रमाणिक दस्तावेज मानने बाबत।

प्रसंगः– निदेशक(एड्स), राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर के पत्र कमांक RSACS/IEC/Mainstreaming/2019-20/2162, दिनांक 25.07.2019

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा निदेशक(एड्स), राजस्थान स्टेट ५५स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर ने खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों के रूप में एड्स पीडित व्यक्तियों के चयन के समय उन्हें उपलब्ध कराई गई ग्रीन डायरी को प्रमाणिक दस्तावेज मानने हेतु लिखा है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्डानुसार पात्र लाभाथियों के रूप से एड्स पीडित व्यक्तियों का चयन करते समय राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर द्वारा उन्हें जारी की गई ग्रीन डायरी को प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में माना जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त निर्णय से अपने जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों को भी अवगत करावें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह राठौड)

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

प्रतिलिपिः–

निदेशक(एड्स), राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर को उनके पत्र कमांक RSACS/IEC/Mainstreaming/2019-20/2162, दिनांक 25.07.2019 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

> Z11X1 0-8/19

उपायुक्त 🛱 वं उपशासन सचिव